

## कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

### नीलामी सूचना

विज्ञापित सं. 55/2018-19

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा विभिन्न योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी दिनांक 17.01.19 को प्रातः 11:00 बजे से 5:00 तक कार्यालय नगर विकास न्यास, प्रांगण में भगत सिंह सर्किल के पास, अलवर में 99 वर्षीय लीजहोल्ड बेसिस पर की जाएंगी। इच्छुक सज्जन निर्धारित अमानत राशि जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी तिथि 17.01.19	<b>व्यवसायिक भूखण्ड</b>	समय प्रातः 11:00 बजे
----------------------	-------------------------	----------------------

माप

क्षेत्रफल वर्गमीटर नीलामी प्रारंभ करने की दर (प्रति व०मी०)

### सिंचाई भवन रेल्वे स्टेशन के पास(मधुवन)

S- 12	अनुसूचित जाति	4.50 मीटर x 9 मीटर	40.50	1,00,000/-
S- 14,15	सामान्य	4.50 मीटर x 9 मीटर	40.50	85,000/-
S- 16 कॉर्नर	अनुसूचित जनजाति	4.50 मीटर x 9 मीटर	40.50	80,000/-
S- 19, 20 ,21	सामान्य	4.50 मीटर x 7.50 मीटर	33.75	85,000/-
S- 29 कॉर्नर	सामान्य	5.30 मीटर x 6 मीटर	31.80	80,000/-
P- 5	सामान्य	12.6 मीटर x 24.50 मीटर	308.70	50,000/-
P- 7	सामान्य	(16.50+15.90मीटर)/2 x 7.50 मीटर	121.50	50,000/-

### सूर्य नगर

20,40,43	सामान्य	15'-0"x 30'-0"	41.80	55,000/-
26,37 कॉर्नर	सामान्य	15'-0"x 30'-0"	41.80	60,000/-
29	सामान्य	10'-0"x 15'-0"	13.93	55,000/-
30	अनुसूचित जाति हेतु	10'-0"x 15'-0"	13.93	55,000/-

### मालवीय नगर

#### BLOCK-A

54	अनुसूचित जनजाति हेतु	15'-0"x 30'-0"	41.80	40,000/-
----	----------------------	----------------	-------	----------

### अम्बेडकर नगर

24 COR	अनुसूचित जाति हेतु	22'-6"x40'-0"	83.98	24,000/-
--------	--------------------	---------------	-------	----------

### शिवाजी पार्क योजना

Shop No.-	21 (निर्मित)	10'-0"X15'-0"	13.94	15.00 लाख
-----------	--------------	---------------	-------	-----------

### वेयर हाउसिंग गोदाम (योजना)

#### BLOCK-A

8	अनुसूचित जनजाति हेतु	40'-0"x90'-0"	334.44	18,000/-
---	----------------------	---------------	--------	----------

#### BLOCK-B

36	अनुसूचित जनजाति हेतु	25'-0"x70'-0"	162.57	12,800/-
----	----------------------	---------------	--------	----------

#### BLOCK-C

39	अनुसूचित जनजाति हेतु	50'-0"x90'-0"	418.05	15,000/-
----	----------------------	---------------	--------	----------

54	अनुसूचित जनजाति हेतु	50'-0"x110'-0"	510.95	15,000/-
----	----------------------	----------------	--------	----------

### नेहरू पार्क में फूड कोर्ट में निर्मित दुकान

8	अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित	8'-9"X11'-6"	9.35	7,00,000/-(प्रति दुकान)
---	------------------------------	--------------	------	-------------------------

### ट्रान्सपोर्ट नगर पार्ट 'ए'

339 कॉर्नर	अनुसूचित जनजाति हेतु	15'-0"x40'-0"	55.74	50,000/-
------------	----------------------	---------------	-------	----------

318	अनुसूचित जाति हेतु	15'-0"x40'-0"	55.74	50,000/-
-----	--------------------	---------------	-------	----------



65	अनुसूचित जाति हेतु	15'-0"x40'-0"	55.74	50,000/-
94 कॉर्नर	सामान्य	15'-0"x40'-0"	55.74	55,000/-
715	सामान्य	40'-0"x100'-0"	371.60	40,000/-

नेमीचन्द मार्केट

147 COR	अनुसूचित जनजाति हेतु	23'-6"X40'-0"	87.32	37,500/-
---------	----------------------	---------------	-------	----------

स्कीम नं0 4 (राजेन्द्र नगर)

Shop No.- 8,9,10,11 (निर्मित)	10'-0"X10'-0"	9.28	5.00 लाख
-------------------------------	---------------	------	----------

नीलामी की शर्तें :-

- 1 बोली 200/-रुपये के गुणक में लगानी होगी।
- 2 प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व मौके पर 74.32 वर्गमीटर तक की व्यवसायिक भूखण्डों की अमानत राशि 50,000 रुपये एवं 74.32 वर्गमीटर से अधिक व्यवसायिक भूखण्डों की अमानत राशि 1,00,000 का बैंक ड्राफ्ट सचिव नगर विकास न्यास, अलवर के नाम प्रस्तुत करने या नकद राशि जमा कराने के पश्चात ही बोली लगाने का अधिकार होगा। नीलामी समाप्त होने पर सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) के अलावा अन्य सभी बोली दाताओं की अमानत राशि का ड्राफ्ट/नकद मौके पर ही लौटा दिया जावेगा।
- 3 सफल बोलीदाता (जिसकी उच्चतम बोली होगी) को भूखण्ड की कुल कीमत का 2 प्रतिशत नीलामी कमीशन एवं भूखण्ड की कीमत की 25 प्रतिशत राशि (1/4 राशि) पत्र प्राप्ति के चार दिवस के अन्दर-अन्दर जमा करानी होगी। यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा बोली अस्वीकृत कर दी गई तो आपकी जमा अमानत राशि बिना ब्याज वापिस लौटा दी जावेगी तथा कोई विवाद मान्य नहीं होगा।
- 4 भूखण्ड की शेष 75 प्रतिशत राशि भूखण्ड आवंटन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कोष में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करा सकते हैं। किन्तु ब्याज आवंटन की दिनांक से देय होगा। उक्त अवधि में राशि जमा न कराने पर भूखण्ड की नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा जमा अमानत राशि जब्त समझी जायेगी।
- 5 व्यवसायिक भूखण्ड की माप मौके के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। जो भी माप व साईज मौके के अनुसार होगी न ही खरीददार को मान्य होगी।
- 6 बोली अध्यक्ष न्यास के निर्णयाधीन होगी। बिना किसी कारण बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नियमानुसार न्यास अध्यक्ष को होगा।
- 7 भूखण्ड की समस्त राशि जमा कराने पर एक माह के अन्दर-अन्दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पेश करने होंगे तथा लीजडीड पंजीकृत करानी होगी। कब्जा पत्र लीजडीड पंजीकृत कराने के बाद ही जारी किया जायेगा।
- 8 नीलामी में बोली लगाने से पूर्व मौके पर भूखण्ड को देख कर ही बोली लगावें। एक बार नीलामी/बोली छुटने के पश्चात् कोई उज्र मान्य नहीं होगा।
- 9 क्रेता को स्वयं उपस्थित होकर बोली लगाना अनिवार्य है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व उस व्यक्ति का अधिकार पत्र स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी से प्रमाणित) पेश करने के पश्चात ही बोली लगाने का हकदार होगा। एक भूखण्ड के लिए एक अधिकार पत्र मान्य होगा कोई फोटोप्रति मान्य नहीं होगी।
- 10 15X30 से कम क्षेत्रफल वाले व्यवसायिक भूखण्डों की छत पर अधिकार न्यास का होगा। (सिंचाई भवन रेलवे स्टेशन के पास स्थित व्यावसायिक भूखण्डों को छोड़कर)
- 11 रेलवे स्टेशन के पास स्थित व्यावसायिक भूखण्डों में 90 वर्गमीटर तक G+1 तथा 90 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्डों पर G+2 मंजिल तक न्यास के टाईप डिजाईन/स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा।
- 12 नेहरू पार्क में क्रेता द्वारा क्रय की जाने वाली दुकानों का उपयोग फूड कोर्ट (पार्क की गतिविधियों के आधार पर) हेतु ही अनुज्ञेय है। एवं छत पर अधिकार न्यास को होगा।



- 13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित व्यवसायिक भूखण्डों पर सम्बन्धित वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति बोली के समय प्रस्तुत करने पर ही बोली लगाने का अधिकार होगा। अन्य सभी शरायतें समान ही लागू होगी।
- 14 राज्य सरकार से प्राप्त आदेशानुसार बी.एस यू.पी. (शैल्टरफण्ड) के मध्ये 25/-रूपये प्रति वर्गमीटर अलग से देय होगा। यह राशि पत्र प्राप्ति के चार दिवस में भूखण्ड की 1/4 राशि के साथ ही जमा करानी होगी।
- 15 बोली दाता को बोली लगाने से पूर्व पैनकार्ड की फोटोप्रति पेश करनी होगी।



सचिव

al

नगर विकास न्यास, अलवर

Wor,

दिनांक :- 02-01-19

क्रमांक: 19758-80/19